राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 225/2024

उदल सिंह उर्फ उदय सिंह पुत्र दशरथ सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पलरा खेड़ा, थाना जावध जिला. नीमच (म.प्र.)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री के.सी. बिश्नोई

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

09/07/2024

1. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता एफआईआर संख्या 11/2017 दिनांक 19.01.2017 में आरोपी है, जो पुलिस स्टेशन ओसियां, जिला जोधपुर में धारा 8/18 और 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए पंजीकृत है। यहां चुनौती के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस मामले, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 06.11.2019 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उसे घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया था, साथ ही सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोप भी तय किए गए थे। दिनांक 19.01.2017 को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ट्रायल शुरू होने के बावजूद याचिकाकर्ता लगातार फरार रहा। उसने विद्वान ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: 19.01.2017 को, जोधपुर जिले के ओसियां पुलिस स्टेशन के एसएचओ रमेश ढाका को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, जिसमें अर्जुन लाल और भुवानी राम नाम के दो व्यक्ति सवार हैं, के टैंक बॉक्स में अफीम छिपाई गई है और वे हरिपुरा के पास सप्लाई के लिए आएंगे। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एसएचओ अन्य पुलिस कर्मियों के साथ चाडी चौराहा पहुंचे। पुलिस वाहन को देखकर, दोनों व्यक्तियों ने

अपनी मोटरसाइकिल पर रायमलवाड़ा (चाडी) रोड की ओर भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और पूछताछ करने पर, मोटरसाइकिल के सवार ने खुद को अर्जुन लाल और पीछे बैठे व्यक्ति ने खुद को भुवानी राम बताया। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर पेट्रोल टैंक के दाईं ओर एक बॉक्स मिला, जिसमें से पुलिस ने दो पॉलीथिन बैग बरामद किए। पहले बैग में 1 किलो 700 ग्राम अफीम थी, और दूसरे बैग में 2 किलोग्राम अफीम थी।

2.1 इस प्रकार उपरोक्त एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद, आरोपी अर्जुन लाल और भुवानी राम के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, और आरोपी महिपाल के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 और 29 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत लंबित रखी गई थी क्योंकि वह जांच में शामिल नहीं हुआ था।

2.2 इसके बाद, जांच अधिकारी ने यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता फरार है और गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस मामले, जोधपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने की प्रार्थना की गई। विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस मामले, जोधपुर ने दिनांक 15.03.2019 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

2.3 दिनांक 06.11.2019 के एक अन्य आक्षेपित आदेश के तहत, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस मामले, जोधपुर ने गिरफ्तारी वारंट की तामील न होने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 80 और 82 के तहत कार्यवाही शुरू की। इस बीच, जांच अधिकारी ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 और 29 के तहत अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 299 के तहत चालान दायर किया। इसलिए, यह विविध याचिका है।

3. शुरुआत में ही, यह पता चलता है कि जहां तक सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोप को चुनौती देने का सवाल है, न तो इसे तैयार करने वाला आदेश याचिका के साथ संलग्न किया गया है और न ही अन्यथा पेश किया गया है। इसकी अनुपस्थिति में, केवल उस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

4. दिनांक 06.11.2019 के आदेश के तहत धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की चुनौती को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के आचरण और उसके

खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति को देखते हुए, यह हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

5. न केवल याचिकाकर्ता अब तक की पूरी सुनवाई के दौरान फरार रहा है, बल्कि इससे पहले भी, जांच एजेंसी द्वारा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों के बावजूद वह कभी भी जांच में शामिल नहीं हुआ।

6. यह स्थापित कानून है कि घोषित अपराधी न्यायालय से किसी भी तरह की समानता का हकदार नहीं है। वर्तमान याचिका पूरी तरह से गलत है और खारिज किए जाने योग्य है।

7. ऐसा आदेश दिया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।